

न्यायालय नायबतहसीलदार कोटपूतली जयपुर(राज.)

पीठासीन अधिकारी
शिमला भीणा (आरटीएस)
दिनांक 20.7.2020

मि.न 05/2020

सरकार बनाम श्री मनीष सिंघल, निदेशक,
श्री कुलदीप शर्मा सी.ओ.
भाविक टेशीफेब प्रा०लि०रिको ऐरिया
केशवाना गुर्जर
निर्णय

पत्रावली पेश हुई । गैर सायल उपस्थित ।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि पटवारी हल्का गोनेडा ने एक रिपोर्ट इस आशय की पेश की है कि सम्वत 2077 में वाके ग्राम केशवाना गुर्जर तहसील कोटपूतली के ख० न०36/0.39 है० किस्म बारानी मेंसे 0.39 तथा 37/0.17 है०किस्म बारानी मेंसे 0.17 है० भूमि पर श्री मनीष सिंघल, निदेशक, श्री कुलदीप शर्मा सी.ओ. भाविक टेशीफेब प्रा०लि०रिको ऐरिया केशवाना गुर्जर ने चार दिवारी लगाकर नाजायज रूप से अतिक्रमण कर लिया है ।

प्रकरण धारा 91 एल.आर.एक्ट के तहत दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैर सायलान को विधिवत एल.आर.एक्ट 1956 की धारा 91 के तहत जबाब प्रस्तुत करने हेतु नोटिस दिये गया । नोटिस बाद तामिल संलग्न पत्रावली किये गये। सूचनापरान्त गैर सायल श्री मनीष सिंघल, निदेशक, श्री कुलदीप शर्मा सी.ओ. भाविक टेशीफेब प्रा०लि०रिको ऐरिया जरिये अधिवक्ता उपस्थित आये। गैरसायल अधिवक्ता द्वारा दस्तावेज पेश किये जो शामिल पत्रावली किये । हमने पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट एवं पत्रावली में सलग्न दस्तावेजों पर गौर किया तो गैर सायल द्वारा प्रस्तुत वरिष्ठ प्रबंधक रिको का पत्र पेश किया जिसके अनुसार राज्य सरकार द्वारा ग्राम केशवाना गुर्जर की 178.42 है०राजकीय भूमि औद्योगिक प्रयोजनार्थ आवंटित की गई थी। निगम द्वारा इसके प्रिमियम का भुगतान राज्य सरकार को किया जा चुका है एवं भूमि का कब्जा निगम को दिनांक 15.10.94 को समर्पित किया जा चुका है। उक्त राजकीय भूमि भी निगम द्वारा अवाप्त की गई थी। तत्पश्चात निगम द्वारा एक औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया गया एवं विभिन्न इकाईयो को उद्योग लगाने हेतु भूखण्डों का आवंटन किया गया। अवाप्ति की यह सभी प्रक्रिया करीबन 25 वर्षों से अधिक पुरानी है। गैर सायल द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात में ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया जिसके आधार पर गैर सायलान को अनुतोष दिया जा सके। हमने पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट, पत्रावली में सलग्न दस्तावेज पर गौर किया तो विवेचन पर पाया कि ग्राम केशवाना गुर्जर तहसील कोटपूतली के ख० न०36/0.39 है० मेंसे 0.39 है० तथा 37/0.17 है० में से 0.17 है० भूमि पर गैर

Sh
20.7.2020

नायब तहसीलदार
कोटपूतली (जयपुर)

सायल का अतिक्रमण सिद्ध होता है । अतः आतिक्रमि के विरुद्ध कार्यवाही किया जाना उचित प्रतित होता है । अगर अतिक्रमि के विरुद्ध कार्यवाही नहीं की गई तो अतिक्रमण को बढ़ा मिलेगा व क्षेत्र में असंतोष की स्थिति उत्पन्न होगी ।

अतः गौरसायल श्री मनीष सिंघल, निदेशक, श्री कुलदीप शर्मा सी.ओ. भाविक टंशीफेब प्रा0लि0रि0को ऐरिया केशवाना गुर्जर तहसील कोटपूतली जिला जयपुर को वार्के ग्राम ग्राम केशवाना गुर्जर तहसील कोटपूतली के ख0 न036 / 0.39 है0 मेंसे 0.39है0 तथा 37 / 0.17 है0 मेंसे 0.17है0 भूमि पर अतिक्रमी घोषित किया जाता है तथा गौर सायल द्वारा किये गये निर्माण कार्य को ध्वस्त किया जाकर भौतिक रूप से बेदखल किये जाने के आदेश दिये जाते हैं । नाजायज रूप से अतिक्रमण करने के आरोप में लगान राशी 3.36 रु. का पचास गुणा 168 रु अर्थ दण्ड के रूप में जुर्माना किया जाता है भू- अभिलेख निरीक्षक व पटवारी हल्का को वास्ते पैलन्टी वसूली, बेदखली आदेश जारी हों तथा मांग कायमी टी.आर. ए. को लिखा जावे निर्णयानुसार कार्यवाही पूर्ण हो कर पत्रावली बाद तकमिल दाखिल दफतर होकर नम्बर से कम हो ।

निर्णय आज दिनाक 20.7..2020 को सरे इजलास सुनाया गया ।

सं 2008/10... के रा० सं० 4
न पृष्ठ संख्या 73... पर... 168 रु
हृदये कायम किये गये ।

राजसूय लिखिका
कोटपूतली

Sh
20.7.2020

नायब तहसीलदार
कोटपूतली (जयपुर)